जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/45 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 16 मार्च 2021

भाग-1

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में स्थित 5/6राठौड़ नगर,क्वींस रोड पर बन गयी अवैध दुकानें!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 5/6 राठौड़ नगर,क्वींस रोड पर बिना नियम कायदों के बन रही 4 अवैध दुकाने

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंड का पता	5/6 राठौड़ नगर,क्रींस रोड,वैशालीनगर जयपुर
2.	संभावित गतिविधि	अवैध व्यवसायिक दुकाने
3.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना अनुमति बन रही अवैध दुकाने
4.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए. ज़ोन-7
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	श्री सुरेश यादव
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	16/03/2021

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा उक्त भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन कौन से अधिकारी है?
7. क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नही? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

8. क्या इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

आम जन की आवाज
मिशन मास्टर प्लान

राजस्थान पत्रिका

घटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला...

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं | कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

मानननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 में दिए गए दिशा-निर्देशों की सख्त अनुपालना हेतु

आम जन का मिशन मास्टर प्लान

आज राजस्थान के जयपुर सहित सभी छोटे-बड़े शहर मास्टर-प्लान की अनदेखी के चलते कई समस्याओं से जूझ रहे है जिसके लिए जरुरी है कि आम शहर वासी भी अपने शहर के मूल स्वरुप को बचाने के लिए शासन में भागीदारी करें और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए अपने नागरिक अधिकारों का अधिकतम उपयोग करें|याद रखे शहर के विकास में आम नागरिक की अहम् भूमिका है|

आम नागरिक क्या करें-

1. अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों,भवन विनियम उल्लंघनों की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
2. शहर में फैले अवैध रूफ-टॉप रेस्टोरेंट्स-बार की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
3. शहर के मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य करवा कर शहर के विकास में योगदान देवें|
4. आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करें|
5. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट की निगरानी रखे,सड़क,फुटपाथ,पार्क की जमीन पर अवैध निर्माणों की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
6. बड़े-बड़े माल में पार्किंग आवश्यक है,पार्किंग स्थल पर हुए अवैध निर्माण की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट पर दर्ज करवाएं|

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/संस्था/जाति/धर्म विशेष से कोई लेना-देना नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/सुझाव/आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1, सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर अथवा ईमेल :-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/सुझाव/आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|